



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224051  
CG-DL-E-31122020-224051

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4194]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 4194]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

**का.आ.4779(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1071(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में, निवेश पद्धति से संबंधित प्रवर्ग (ii) के सामने, "ऋण लिखत और संबंधित निवेश" खंड (च) के पश्चात् और पहले परंतुक से पूर्व, 11 दिसंबर, 2019 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा और भारत सरकार के साथ हुए करार के अनुसार नियुक्त किसी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित ऋण विनियम व्यापारित निधि (ईटीएफ) की यूनिटों से विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, केन्द्रीय लोक वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सरकारी संगठनों के बंधपत्रों में निवेश करना अभिप्रेत था:"।

[फा. सं. जी-20031/1/2012 एसएस-II (भाग)]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1071(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें का.आ.सं.3034(अ) तारीख 22 सितंबर, 2016 तथा का.आ. सं. 1685(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

**S.O. 4779(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1071(E), dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii), dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015, namely:—

In the said notification, in the Table, in column 2, against category (ii), relating to investment pattern "Debt Instruments and Related Investments", after clause (f) and before the first proviso, the following clause shall be inserted, with effect from 11<sup>th</sup> day of December, 2019, namely:-

“(g) Units of Debt Exchange Traded Funds (ETFs) regulated by the Securities and Exchange Board of India and managed by an asset management company appointed as per an agreement with Government of India, specifically meant to invest in the bonds of the Central Public Sector Enterprises, Central Public Sector Undertakings, Central Public Financial Institutions and other Government organisations:”.

[F. No. G-20031/1/2012 SS-II (Pt.)]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1071(E), dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015 and subsequently amended vide S.O. No. 3034(E), dated 22<sup>nd</sup> September, 2016 and S.O. No. 1685(E), dated 20<sup>th</sup> April, 2018.